



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 भाद्र, 1948 (श०)

संख्या - 464 राँची, मंगलवार,

8 सितम्बर, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

21 अगस्त, 2026

संख्या-03/आरोप-11-52/2024-38520 (HRMS)--श्री कुमार कनिष्क, झा०प्र०से०
(कोटि क्रमांक-44/25), कार्यपालक दण्डाधिकारी, बोकारो के विरुद्ध उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-601/स्था०, दिनांक 14.10.2024 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

आरोप पत्र में श्री कनिष्क के विरुद्ध आरोप प्रतिवेदित किया गया कि Cont. Case (C) No. 1040/2023 Niraj Kumar Agarwal Vs. State of Jharkhand and others में दिनांक 23.08.2024 द्वारा W.P.(C) No. 2840/2020 में पारित आदेश के आलोक में याचिकाकर्ता के पक्ष में कार्यालय ज्ञापांक-1543/सा०, दिनांक 02.09.2024 को अनापति प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने के बाद भी अनापति प्रमाण पत्र की प्रति न तो याचिकाकर्ता को उपलब्ध करायी गयी न तो माननीय उच्च न्यायालय में इसकी प्रति उपलब्ध करायी गयी। फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा उपायुक्त, बोकारो को दिनांक 20.09.2024 को व्यक्तिगत उपस्थिति के साथ रू० 25,000/- (पच्चीस हजार) का अर्थ दण्ड लगाया गया, जिससे सरकार की छवि धुमिल हुई ।

साथ ही, उक्त अनापति प्रमाण पत्र जो उपायुक्त द्वारा दिनांक 02.09.2024 को हस्ताक्षरित किया गया था, उसे श्री कनिष्क द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश के बाद निर्गत किया गया। कार्यालय को गुमराह करने की मंशा से पत्रांक-1667/सा0, दिनांक 05.09.2024 द्वारा प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, बोकारो को सूचित किया गया कि अनापति प्रमाण पत्र निर्गत कर दिया गया है। कार्यालय ज्ञापांक-1543/सा0, दिनांक 02.09.2024 से निर्गत अनापति प्रमाण पत्र को दिनांक 01.10.2024 तक इनके द्वारा Online नहीं कराया गया।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-244, दिनांक 15.01.2025 द्वारा श्री कनिष्क से स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री कनिष्क के पत्र, दिनांक 21.02.2025 द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। समर्पित स्पष्टीकरण में श्री कनिष्क द्वारा उल्लेख किया गया कि आवेदनकर्ता को अनापति प्रमाण पत्र निर्गत होने की तिथि 02.09.2024 को ही जिला सामान्य शाखा, बोकारो के कार्यालय से आफलाईन अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु सूचना दी गई थी। प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, बोकारो को पत्रांक-1667/सा0, दिनांक 05.09.2024 द्वारा अवमाननावाद में दिनांक 23.08.2024 को पारित आदेश के अनुपालन से अवगत कराया गया था। साथ ही पत्र में सुस्पष्ट अक्षरों में अंकित था कि माननीय उच्च न्यायालय, राँची को आदेश के अनुपालन से Standing Counsel को अवगत कराया जाय। आवेदनकर्ता को प्राप्ति रसीद दिनांक 03.09.2024 को ही हस्तगत कराया गया था।

विभागीय पत्रांक-1651, दिनांक 19.03.2025 द्वारा उपायुक्त, बोकारो से श्री कनिष्क द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण पर बिन्दुवार मंतव्य के साथ श्री कनिष्क द्वारा निर्गत पत्रांक-1667/स्था0, दिनांक 05.09.2024 विधि शाखा को कब प्राप्त हुआ?, के संबंध में प्रतिवेदन की माँग की गई।

उपायुक्त, बोकारो के पत्रांक-302/स्था0, दिनांक 03.05.2025 द्वारा मंतव्य उपलब्ध कराया गया, जिसमें श्री कनिष्क के स्पष्टीकरण को स्वीकार योग्य नहीं प्रतिवेदित किया गया। साथ ही, मंतव्य में अंकित किया गया कि प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, बोकारो को पत्रांक-1667/स्था0, दिनांक 05.09.2024 की प्रति विधि शाखा को किस दिन हस्तगत कराया गया के संबंध में कोई साक्ष्य संलग्न नहीं है।

श्री कनिष्क द्वारा Cont. Case (C) No. 1040/2023 Niraj Kumar Agarwal Vs. State of Jharkhand and others में दिनांक 18.10.2024 को पारित आदेश की प्रति संलग्न करते हुए पूरक स्पष्टीकरण समर्पित किया गया। अपने पूरक स्पष्टीकरण में उनके द्वारा उल्लेख किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के आदेश के अनुपालन में याचिकाकर्ता को 25,000/- रुपये अर्थ दण्ड का भुगतान कर दिया गया है। माननीय न्यायालय के सभी आदेशों के अनुपालन के आधार पर Cont. Case (C) No. 1040/2023 Niraj Kumar Agarwal Vs. State of Jharkhand and others को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.10.2024 को

पारित आदेश द्वारा निस्तारित कर दिया गया है। दिनांक 18.10.2024 को पारित न्यायादेश का कार्यकारी अंश निम्नवत् है-

"Considering the fact that the order under contempt has been complied with, the proceeding is dropped and the contempt application stands disposed of."

श्री कनिष्क के विरुद्ध गठित आरोप, उनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण एवं पूरक स्पष्टीकरण तथा उपायुक्त, बोकारो से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गई।

अतः समीक्षोपरांत, श्री कुमार कनिष्क, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-44/25), कार्यपालक दण्डाधिकारी, बोकारो को न्यायालीय मामलों में सतर्क रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री कुमार कनिष्क, झांप्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	KUMAR KANISHKA 110121377943	श्री कुमार कनिष्क, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-44/25), कार्यपालक दण्डाधिकारी, बोकारो को न्यायालीय मामलों में सतर्क रहने की चेतावनी के साथ आरोप मुक्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव।

जीपीएफ संख्या:20060400057
